

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

स. 5-1(14)/2008-PD-पार्ट 5

दिनांक: 13.04.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जहां नियुक्ति प्रस्ताव 05 वर्ष रिक्ति आयु से पहले जारी किए गए थे और उम्मीदवार 05 वर्ष की रिक्ति आयु के बाद जॉइन किया है- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस कार्यालय में विषयवस्तु पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण चाहने हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन मुद्दों की जांच आईएफडी, सीएसआईआर के परामर्श से की गई है। तदनुसार, निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

क्र.सं.	संदेह का बिंदु	स्पष्टीकरण
1	प्रशासनिक पदों के संबंध में सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(14)/2008-पीडी दिनांक 06.07.2024 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के प्रकाश में, ऐसे मामले जहां नियुक्ति का प्रस्ताव जुलाई, 2025 में जारी किया गया हो, लेकिन 5 वर्षों के बाद यानी 16.07.2020 के बाद या पद रिक्त होने के 5 साल बाद, जो भी बाद में हो, क्या पुनर्जीवन आवश्यक है।	जहां जुलाई 2025 में नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया है, लेकिन रिक्ति उत्पन्न होने के 5 वर्षों के बाद यानी 16.07.2020 या पद रिक्त होने के 5 साल बाद, जो भी बाद में हो, ऐसे मामले में व्यय विभाग के का. ज्ञा. दिनांक 04.01.2024 के संदर्भ में पुनरुद्धार की आवश्यकता होगी।
2	यदि रिक्ति उत्पन्न होने के 5 वर्षों के भीतर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया है, और चयनित उम्मीदवार पद ग्रहण करता है लेकिन अपने कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से इस्तीफा दे देता है, हालांकि उक्त पद की मूल रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख 5 वर्ष बीत चुकी है, तो क्या ऐसे मामलों में डीओपीटी का. ज्ञा. दिनांक 13.06.2000 के अनुसार, आरक्षित सूची (reserve list) से नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है।	हाँ, पैनल की वैधता अवधि के भीतर, आरक्षित/प्रतीक्षा पैनल (reserve/waiting panel) को डीओपीटी का. ज्ञा. दिनांक 13.06.2000 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की मंजूरी के साथ संचालित किया जा सकता है और प्रतीक्षा सूची (waiting list) में उपलब्ध उम्मीदवारों में से रिक्ति को सख्ती से योग्यता क्रम में और उसी श्रेणी में भरा जा सकता है जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई है।

2. उपरोक्त को, सभी संबंधितों की जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए लाया जा सकता है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव(नीति)

सेवा में

1. सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

प्रतिलिपि

1. कार्यालय महानिदेशक, सीएसआईआर
2. कार्यालय संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर
3. कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
4. कार्यालय मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
5. कार्यालय विधि सलाहकार, सीएसआईआर
6. सीएसआईआर की समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/ मुख्यालय/ इकाइयों के सभी वरिष्ठ उप सचिव/ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक /अवर सचिव /प्रशासनिक अधिकारी
7. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों और मुख्यालय के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार / वरिष्ठ वित्तीय और लेखा नियंत्रक / उप वित्तीय सलाहकार / वित्तीय और लेखा नियंत्रक / वित्त और लेखा अधिकारी
8. सीएसआईआर वेबसाइट
9. कार्यालय प्रति